

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 05 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 500000/- (पाँच लाख रूपए) एवं 04 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 620000/- (छः लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का बीमा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मनोज सहनी, 20, सामान्य	श्री राम पुकार सहनी(पिता)	481/2.7.18	ग्रा०+पो०-सैदपुर, था०-चकमेहसी, प्र०-कल्याणपुर, समस्तीपुर	7531220 0048857	Syndicate Bank, Pusa, SYNB0007531	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बस में खलासी व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० रंजीत पासवान, 37, स्व० बिहारी पासवान, अनु० जाति	श्रीमती सुन्देश्वरी देवी(पत्नी)	482/2.7.18	ग्रा०-गोपालपुर, पो०-मुक्तापुर, था०+ प्र०-कल्याणपुर, समस्तीपुर	5758101 1001000 8	Bank of India, Kalyanpur, BKID0005758	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० संजू देवी, 28, सामान्य	श्री प्रवीण राय(पति)	483/2.7.18	ग्रा०+पो०-बाघी, प्र०-ताजपुर, था०+जि०-समस्तीपुर	6534234 949	Indian Bank Baghi, Samastipur, IDIB000B185	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० दिलीप साह, 44, श्री महेन्द्र साह, सामान्य	श्रीमती अनिता देवी(पत्नी)	484/2.7.18	ग्रा०-हरसिंहपुर टॉन्डी, पो०-भगवतपुर, था०+प्र०-सरायरंजन, समस्तीपुर	4000203 331	Central Bank of India, Harsingpur, CBIN0280058	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० शंकर सदा, 58, स्व० मेघु सदा, अनु० जाति	श्रीमती धगीया देवी(पत्नी)	485/2.7.18	ग्रा०+पो०-जितवारपुर चौध, था०+प्र०+जि०-समस्तीपुर	1420100 35485	Dena Bank, Jitwarpur, Samastipur, BKDN0911420	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० राम सागर पासवान, 61, स्व० मुन्नर पासवान, अनु० जाति	श्रीमती सुमित्रा देवी(पत्नी)	487/2.7.18	ग्रा०+पो०-लगुनियों सुर्यकंठ, था०+प्र०+जि०-समस्तीपुर	6295906 525	Indian Bank, Korbada, Samastipur, IDIB000S222	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० पवन कुमार, 24, श्री झपसी राय, सामान्य	श्रीमती मीना देवी(माता)	488/2.7.18	ग्रा०-रूपौली टोले हुण्डहिया, पो०-रूपौली, था०-मुसरीधरारी, प्र०-सरायरंजन, समस्तीपुर	4618021 2000035 9	Union Bank of India, Musarigharari, UBIN0546186	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० रमेश रजक, 43, स्व० श्यामल रजक, अनु० जाति	श्रीमती सोनिया देवी(पत्नी)	489/2.7.18	ग्रा०-कोरबदा, पो०-लगुनियों सुर्यकंठ, था०+प्र०+जि०-समस्तीपुर	6445646 171	Indian Bank, Korbada, Samastipur, IDIB000S222	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कपड़े की धुलाई(धोबी) व्यवसाय में कामगार मजदूर
9	स्व० उपेन्द्र राय, 50, स्व० राम स्वार्थ राय, सामान्य	श्रीमती ललिता देवी(पत्नी)	490/2.7.18	ग्रा०-अजरकबे बघला, पो०-सोरमार बघला, था०-चकमेहसी, प्र०-कल्याणपुर, समस्तीपुर	3291932 5180	State Bank of India, Kalyanpur, SBIN0002954	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 620000/-

(छः लाख बीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-21/2018 के पृष्ठ-11/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 620000/- (छः लाख बीस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-21/2018-344

पटना, दिनांक :-26-07-18

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को उनके ज्ञापांक 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489 एवं 490 दिनांक 2.7.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

31/07/18 24-7-18	24/07/18	26/07/18
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।